

संनिसेसंप्रनि/प्रवर्तनNo.DCSE/ENFT /E-4697/Circular/2025/150

Date: 16/06/2025

परिपत्र/CIRCULAR

विषय : अणुशक्तिनगर/ मंडाला कॉलोनी में सांस्कृतिक, सामाजिक कल्याण और खेल गतिविधियों/कार्यक्रमों के आयोजन के लिए दिशा-निर्देश
Subject : Guidelines for conducting Cultural, Social Welfare and Sports activities in Anushaktinagar/Mandala Colony

विभाग में सक्षम प्राधिकारी ने अणुशक्तिनगर सांस्कृतिक प्रबंधन समिति (एसीएमसी) के अंतर्गत सांस्कृतिक और सामाजिक कल्याण गतिविधियों तथा अणुशक्तिनगर खेल प्रबंधन समिति (एएसएमसी) के अंतर्गत खेल संबंधी गतिविधियों का आयोजन करने की स्वीकृति दे दी है।

The Competent Authority in the Department has approved the conduct of Cultural and Social welfare activities under the umbrella of Anushaktinagar Cultural Management Committee (ACMC) and sports related activities under the umbrella of Anushaktinagar Sports Management Committee (ASMC).

2. अणुशक्तिनगर में सभी निवासी कल्याण संघ (अर्थात एआरडब्ल्यूए, एमआरडब्ल्यूए और डब्ल्यूएसआरडब्ल्यूए) और अन्य पंजीकृत संघ निम्नलिखित शर्तों के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं:

All Residents Welfare Associations (viz. ARWA, MRWA and WSRWA) and other registered associations in Anushaktinagar can conduct the social, cultural & sports and other events with the following conditions:

- एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी/प्रबंधन समिति के सदस्य डीईई कर्मचारी होने चाहिए तथा अणुशक्तिनगर/ मंडाला कॉलोनी के रहिवासी होने चाहिए।
All the Office bearers / Management Committee members of the associations should be DAE employees and residing in Anushaktinagar/Mandala Colony.
- ये कार्यक्रम संबंधित एसोसिएशन के सदस्यों एवं परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहेंगे।
The events will be limited to members & family members of the respective associations.
- एसोसिएशन के उपनियमों में खेल आयोजनों या सामाजिक कल्याण या सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए प्रावधान होना चाहिए। यदि उपनियमों में कोई प्रावधान नहीं है, तो इसे एएसएमसी / एसीएमसी के अधीन संचालित किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, आवश्यक संबंधित सुविधा की उपलब्धता और उनके विवेक के अधीन। पारदर्शी तरीके से सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए एएसएमसी / एसीएमसी द्वारा आयोजन की देखरेख के लिए संबंधित एसोसिएशन और एएसएमसी / एसीएमसी के सदस्यों वाली एक संयुक्त समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो इस आयोजन पर ध्यान देगी।



There should be a provision in the Bye-Laws of the Association providing for conduct of sports events or social welfare or cultural activities. If there is no provision in the Bye-Laws, the same may be conducted under ASMC / ACMC as the case may be, subject to availability of related facility required and at their discretion. A joint committee comprising members from concerned association & ASMC/ACMC to oversee the event to be constituted by ASMC/ACMC to ensure the smooth conduct in transparent manner.

- d. अणुशक्तिनगर के अंदर स्थान का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित अनुमोदन अनिवार्यतः प्राप्त कि ए जा सकते हैं:
For utilizing space inside Anushaktinagar following approvals may invariably be obtained:

<p>I. लॉन/खुली जगह का उपयोग करने के लिए For utilizing Lawns/ open space</p>	<ul style="list-style-type: none"> मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर से सुरक्षा मंजूरी /Security Clearance from CSO, AN एआरडब्ल्यूए, एमआरडब्ल्यूए और डब्ल्यूएसआरडब्ल्यूए /संबंधित पंजीकृत एसोसिएशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र। /NOC from ARWA/MRWA/WSRWA/ Concerned registered association. प्रवर्तन अनुभाग, निसेसंप्रनि से प्रशासनिक स्वीकृति /Administrative approval from Enforcement Section, DCSEM
<p>II. पंजीकृत एसोसिएशन द्वारा अपने उपनियमों में खेल/सामाजिक कल्याण/सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु प्रावधान के साथ स्कूल मैदान का उपयोग करना। For utilizing School grounds by Registered Association with the provision in their Bye-Laws to conduct sports/ social welfare/ cultural activities</p>	<ul style="list-style-type: none"> मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर से सुरक्षा मंजूरी /Security Clearance from CSO, AN. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आईईएस से प्रमाणीकरण के साथ आईईएस से एनओसी/स्कूल की अनुमति। /NOC/ School permission from AEES with the certification from CAO, AEES. प्रवर्तन अनुभाग, निसेसंप्रनि से प्रशासनिक स्वीकृति /Administrative approval from Enforcement Section, DCSEM
<p>III. पंजीकृत एसोसिएशन द्वारा स्कूल मैदान का उपयोग करने के लिए, जब उनके उपनियमों में खेल/सामाजिक कल्याण/सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन के लिए कोई प्रावधान नहीं है और एसएमसी/एससी के माध्यम से उपर्युक्त पैरा संख्या 2 (सी) के अनुसार आवेदन किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो। For utilizing School grounds by Registered Association when there is no provision in their Bye-Laws to conduct sports/ social</p>	<ul style="list-style-type: none"> मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर से सुरक्षा मंजूरी /Security Clearance from CSO, AN. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आईईएस से प्रमाणीकरण के साथ आईईएस से एनओसी/स्कूल की अनुमति। /NOC/ School permission from AEES with the certification from CAO, AEES.




<p>welfare/ cultural activities & the application made as per above mentioned para No 2 (c) through ASMC/ACMC, as the case may be.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • एसएमसी/एसीएमएस के अंतर्गत सुविधाओं का उपयोग करने के लिए, एसएमसी/एसीएमएस के महासचिव से एसएमसी/एसीएमसी के लेटरहेड पर पत्र की आवश्यकता है कि गतिविधियां संयुक्त पर्यवेक्षण के तहत संचालित की जाएंगी। For utilizing facilities under ASMC/ACMS, letter from General Secretary, ASMC/ACMS is required that the activities will be conducted under the joint supervision in the letterhead of ASMC/ACMC. • प्रवर्तन अनुभाग, निसेसंप्रनि से प्रशासनिक अनुमोदन /Administrative approval from Enforcement Section, DCSEM
--	--

- e. आवेदन पत्र के साथ सुरक्षा मंजूरी, रेखांकित चेक, रद्द चेक, रिफंड रसीद, स्कूलों से अनुमति / स्कूलों/ कॉलेजों के खुले स्थान/लान/खेल के मैदानों की बुकिंग के लिए पंजीकृत एसोसिएशन से एनओसी, आयोजन से कम से कम 10 दिन पहले उपरोक्त तालिका के अनुसार संबंधित अनुभाग में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

The application along with security clearance, crossed cheque, cancelled cheque, refund receipts, permission from Schools/ NOC from registered association for booking of Open space/lawns/Play grounds of Schools/ college must be submitted to the concerned Section as per the above table minimum 10 days before the event.

3. यह निदेशक, डीसीएसईएम के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
This issues with the approval of Director, DCSEM.

 13-06-2025

एस.एस. गोंडाणे / S.S. Gondane)
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और संपदा अधिकारी
Chief Administrative Officer and Estate Officer

Copy to:

1. मुंबई स्थित सभी पऊवि यूनिटों के प्रधान - उनकी इकाई में कर्मचारियों के बीच संचलन के लिए।
Administrative Heads of all DAE units in Mumbai - For circulation among the employees in their unit.
2. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, अणुशक्तिनगर Chief Security Officer, Anushaktinagar.
3. अणुशक्तिनगर सांस्कृतिक प्रबंधन समिति (एसीएमसी) Anushaktinagar Cultural Management Committee (ACMC)/ अणुशक्तिनगर खेल प्रबंधन समिति (एसएमसी) Anushaktinagar Sports Management Committee (ASMC)
4. उप लेखा नियंत्रक /Dy. Controller of Accounts (DCA)
5. एआरडब्ल्यूए, एमआरडब्ल्यूए और डब्ल्यूएसआरडब्ल्यूए /प्रवर्तन अनुभाग में पंजीकृत और दर्ज बिल्डिंग एसोसिएशन/ ARWA/MRWA/WSRWA/Building associations registered and recorded in Enforcement section
6. निसेसंप्रनि वेबसाइट /DCSEM website.